



Neutral Citation No. -2026:AHC:54866

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 482 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 2511 / 2026

परवेज़

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

आदित्य प्रताप मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्याय कक्ष संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य प्रताप मिश्रा और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री ओ. पी. सिंह की दलीलें सुनीं और पत्रावली का अवलोकन किया।
2. यह वर्तमान आवेदन थाना गाजियाबाद कोतवाली, जिला गाजियाबाद में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 1/2026 उ.प्र.गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2/3 के तहत, में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, अपीलार्थी को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी, गिरोह विवरण में उसके विरुद्ध दर्शाए गए दोनों मामलों में पहले से ही जमानत पर है। इसके अतिरिक्त, यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध एक तीसरा मामला भी दर्ज है, जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम से संबंधित है, जिसमें अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी के आपराधिक इतिहास का विवरण आवेदन-पत्र में स्पष्ट रूप से दिया गया है; और वह यह वचन देता है कि वह विचारण के दौरान पूर्ण सहयोग करेगा तथा जब भी जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा उसे उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा, वह अवश्य उपस्थित होगा। साथ ही, यदि उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगा।
4. दूसरी ओर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी तर्कों पर विचार किया है।
6. अपीलार्थी, गिरोह विवरण में उसके विरुद्ध दिखाए गए दोनों मामलों में जमानत पर है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया जाता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध एक तीसरा मामला भी दर्ज है, जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम से संबंधित है और जिसमें अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. यह उल्लेख करना उचित होगा कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अग्रिम जमानत पर निर्णय लेते समय, न्यायालय को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, तथा अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर अवश्य विचार करना चाहिए साथ ही, न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी संज्ञान में लेना चाहिए।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांतों, पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलों, आरोप की प्रकृति, अपीलार्थी की भूमिका पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का एक मामला बनता है।

9. अग्रिम जमानत का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. यदि उपरोक्त मामले/अपराध में शामिल अपीलार्थी परवेज़ को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करे :-

(i) अपीलार्थी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और सुनवाई की प्रत्येक निर्धारित तारीख पर, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा; और वह किसी भी अनुचित स्थगन की मांग नहीं करेगा;

(ii) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे/उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके;

(iii) अपीलार्थी विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत पर मिली स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) अपीलार्थी संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर बाहर नहीं जाएगा।

11. यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो अभियोजन पक्ष को अपीलार्थी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

17 मार्च, 2026

वंदना